झारखण्ड विधान सभा

तारांकित प्रश्नों की सूची

पंचम झारखण्ड विधान–सभा
अष्टम (बजट)सत्र
वर्ग–01

निम्नलिखित तारांकित प्रश्न, सोमवार, दिनांक–23 फाल्गुन, 1943(श०) को 14 मार्च, 2022(ई०)

झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे।

कमांक	विभागों को भेजी गई सां०सं	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागो भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
*479	का०–29	डॉ० इरफान अंसारी	कार्रवाई करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	05/03/22
480	का०–32	श्री जयप्रकाश भाई पटेल	स्थानीय नीति का निर्धारण।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	07/03/22
481	ग०–23	श्री अनन्त कुमार ओझा	थाना का सृजन	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	26/02/22
482	ग०–19	श्री विनोद कुमार सिंह	अभियुक्तो की गिरफ्तारी	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	25/02/22
483	ग०–36 *(उत्तर मुद्रित)	श्री नारायण दास	मुआवजा का भुगतान	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	28/02/22
484	ग०–44	सुश्री अम्बा प्रसाद	वाहन उपलब्ध कराना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	05/03/22
*485	का०–26	श्री जय प्रकाश भाई पटेल	पंचायत को शामिल करना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	28/02/22
486	का०–30	श्री अमित कुमार मंडल	अनुसूचित जन जाति में शामिल करना।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	05/03/22
487	का०–33	श्रीमती सीता सोरेन	बेटियो को नौकरी में प्राथमिक्ता	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	07/03/22
488	ग०–53	श्री राज सिन्हा	पदाधिकारियो पर कार्रवाई	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	07/03/22
489	ग०–41	श्री नलिन सोरेन	थाना का सृजन करना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	05/03/22

कृ०पृ०उ०.....

नोट-*-479, कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक-1498, दिनांक-08/03/2022 के द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग में स्थानान्तरित।

490-ग०-50	श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	पदस्थापन करना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	07/03/22
491-वि०-05	श्री ढुलू महतो	अनुशंसा करना	वित्त	28/02/22
492-का०-11	डॉ० लम्बोदर महतो	प्रमाण पत्र निर्गत करना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22/02/22
493-का०-31	श्री कमलेश कुमार सिंह	परीक्षाफल का प्रकाशन	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	05/03/22
494-ग०-40	श्री भानु प्रताप शाही	प्रोन्नती देना	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	05/03/22
*495-ग०-38	श्री ढुलू महतो	पदाधिकारी के विरूद्ध कार्रवाई	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	01/03/22
496-ग०-42	श्री नलिन सोरेन	थाना भवन का निर्माण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	05/03/22
497-का०-12	डॉ० लम्बोदर महतो	प्रमाण पत्र निर्गत करना	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	22/02/22
498-ग०-49	श्री नवीन जयसवाल	पुलिस आरक्षी के समतुल्य वेतन	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	07/03/22
499-का०-19	श्री अनन्त कुमार ओझा	सरकारी योजना का लाभ।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा	26/02/22
500-ग०-51	श्रीमती सीता सोरेन	बैरक का निर्माण	गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन	07/03/22

नोट :-*483-ग-36-गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक :-846, दिनांक-02-03-2022 के द्वारा आपदा प्रबंधन प्रभाग में स्थानान्तरित।

*485-का-26 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक-1315,दिनांक-02-03-2022के द्वारा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानान्तरित।

*495- ग-38-गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के ज्ञापांक-845, दिनांक-02-03-2022 के द्वारा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग में स्थानान्तरित पुनः कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के ज्ञापांक-1359, दिनांक-03-03-2022 के द्वारा गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग में स्थानान्तरित।

राँची,
दिनांक-14 मार्च,2022

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2021-.....1212.....वि०स०,राँची,दिनांक-...10/03/22.....

प्रतिः-झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/माननीय मुख्यमंत्री/माननीय मंत्रिगण/माननीय संसदीय कार्य मंत्री/मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

10/03/2022
(अनुप कुमार लाल)
उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा,राँची।

कृ०पृ०उ०.....

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2021-1212 वि०स०,राँची,दिनांक-10/03/22

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय तथा संयुक्त सचिव, प्रश्न को सूचनार्थ प्रेषित।

10/03/2022
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्या-प्रश्न-01/2021-1212 वि०स०,राँची,दिनांक-10/03/22

प्रतिः- कार्यवाही शाखा बेवसाईट शाखा, जे०भी०एस० टी०भी शाखा/ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा, को सूचनार्थ प्रेषित।

10/03/2022
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

पाण्डेय/-

479

माननीय स०वि०स० डॉ० इरफान अंसारी द्वारा दिनांक 14.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का–29 की उत्तर सामग्री

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि जिला एवं प्रखंड पदस्थापित पदाधिकारी/कर्मचारियों को मुख्यालय उनके पदस्थापित कार्यस्थल में ही रखना है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि कतिपय पदाधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मुख्यालय कार्यस्थल से निर्धारित सीमा के अंदर नहीं रखकर अन्यत्र रखा जाता है, जिससे विकास के कार्यो में असूविधा होती है तथा जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है;	मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, बिहार के पत्रांक–1531 दिनांक–24.05.2000 के द्वारा सरकारी पदाधिकारियों/कर्मचारियों को अपने पदस्थापन स्थल पर आवासित होने संबंधी निदेश संसूचित किया गया है। पुनः मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–1717 दिनांक–21.09.2006 के द्वारा यह निदेश संसूचित है कि प्रखण्ड स्तर पर प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं चिकित्सा पदाधिकारी मुख्यालय में उपलब्ध एवं आवासित रहकर अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें और जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर उनसे संवाद स्थापित कर त्वरित निष्पादन करें। कार्मिक विभाग के पत्रांक–5542 दिनांक–19.04.2017 के द्वारा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारियों को प्रखण्ड/अंचल मुख्यालय में निवास सुनिश्चित करने के निमित्त दिशा–निदेश निर्गत किया गया है। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्रांक–1041 दिनांक–04.03.2021 के द्वारा राज्य अन्तर्गत अंचल कार्यालय में कार्यरत पदाधिकारी/कर्मी को आवासीय/मुख्यालय कार्यालय में रहकर कार्य करने का निदेश संसूचित है। सरकार के उपर्युक्त निदेशों का अनुपालन नहीं करने वाले पदाधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार के द्वारा विधिवत् अनुशासनिक कार्रवाई किये जाने का प्रावधान है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जिले एवं प्रखंड स्तर पर पदस्थापित कर्मचारी/पदाधिकारी का मुख्यालय उनके कार्यस्थल से निर्धारित सीमा के अंदर रखवाना सुनिश्चित करते हुए वैसे दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी को चिन्हित कर उन पर अनुशासनिक कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त खण्डों में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–15/झा०वि०स०–15–09/2022 का०– 1608 राँची, दिनांक– 12/03/2022

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–979 दिनांक–05.03.2022 के प्रसंग में 250 प्रतियों में आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/2022
(ब्रज माधव)
सरकार के अवर सचिव।

480

श्री जयप्रकाश भाई पटेल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–32 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राज्य में पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बनाई गई स्थानीय नीति को निरस्त कर दिया गया है;	वस्तुस्थिति यह है कि प्रशान्त विद्यार्थी एवं सुमन कुमार सिंह के मामले में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–27.11.2002 को पारित न्यायादेश द्वारा स्थानीय व्यक्ति से संबंधित संकल्प को निरस्त किया गया तथा स्थानीय व्यक्ति को पुनः परिभाषित करने और स्थानीय व्यक्ति की पहचान के लिए दिशा निदेश गठित करने की अपेक्षा की गई। वर्तमान में विभागीय संकल्प सं0–3198, दिनांक– 18.04.2016 द्वारा झारखण्ड के स्थानीय निवासी की परिभाषा एवं पहचान संबंधी नीति संसूचित है।
2.	क्या यह बात सही है कि स्थानीय नीति के तहत् राज्य में होने वाली नियुक्ति में स्थानीय को लाभ प्राप्त होता है;	स्वीकारात्मक। विभागीय संकल्प सं0–9567, दिनांक–11.11.2016 द्वारा अन्य सभी मामलों में समानता (All things being equal) होने पर झारखण्ड के स्थानीय निवासीयों को नियोजन में प्राथमिकता संबंधी प्रावधान किया गया है।
3.	क्या यह बात सही है कि स्थानीय नीति बनाये वगैर सरकार द्वारा आये दिन नियुक्ति हेतु विज्ञापन का प्रकाशन कर शिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को दिग्–भ्रमित किया जा रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार नियुक्ति हेतु प्रकाशित हो रहे विज्ञापनों पर तत्काल रोक लगाते हुए स्थानीय नीति निर्धारण का विचार रखती है, हाँ तो कब तक नहीं तो क्यों?	झारखण्ड राज्य में लागू स्थानीय नीति की पुर्नसमीक्षा हेतु एक त्रि–सदस्यीय मंत्रिमण्डलीय उप समिति के गठन का मामला सरकार के समक्ष विचाराधीन है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–27 / 2022 का0–1561 / रांची, दिनांक 11/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–1035, दिनांक–07.03.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11.3.22
(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(481)

श्री अनन्त कुमार ओझा, मा०स०वि०स०– के द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि साहेबगंज जिला का राजमहल विधान–सभा क्षेत्र गंगा तट व मध्य दियारा क्षेत्र में पड़ता है, जहाँ 83.15 कि0मी0 गंगीय क्षेत्र पर गंगा नदी थाना (Riverine p.s) के सृजन से संबंधित प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय, झारखण्ड से की गई है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड–1 में वर्णित 83.15 कि0मी0 गंगीय क्षेत्र में गंगा नदी थाना (Riverine p.s) के सृजन व गशती हेतु मोटर बोट (Moter Boat) उपलब्ध कर सुरक्षा प्रदान करने के दृष्ट्रिकोण से विधि व्यवस्था सुदृढ़ कराने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	साहेबगंज जिला अंतर्गत गंगा नदी थाना (Riverine p.s) के सृजन से संबंधित प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय से प्राप्त हुआ है, सम्प्रति थाना सृजन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–06 / 2022–....1032.... / राँची, दिनांक– 12/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–653, दिनांक–26.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/22
सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री विनोद कुमार सिंह, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–19 का उत्तर प्रतिवेदनः–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला के धनवार प्रखण्ड के महेशमरवा में जागिरा खातुन एवं नाजिया खातुन (माँ–बेटी) की हत्या कर दी गयी, जो घनवार थाना काण्ड सं०–18/22 में दर्ज है तथा बगोदर के घाघरा में हरिलाल महतो की हत्या कर दी गयी, जो बगोदर थाना काण्ड संख्या–15/22 मे दर्ज हैं;	स्वीकारात्मक
2. क्या यह बात सही है कि घटना के एक माह पश्चात् भी उपर्युक्त थाना कांडो में मुख्य अभियुक्तों गिरफ्तारी नहीं हुई है;	आंशिक स्वीकारात्मक बगोदर थाना काण्ड सं०–15/22 में काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त 1. गोविन्द राजन चौधरी, पे०– ज्ञानदेव महतो एवं 2. अरविन्द महतो, पे०– स्व० जेठु महतो दोनों सा० घाघरा थाना–बगोदर, जिला–गिरिडीह को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। काण्ड के तीन अन्य प्राथमिकी अभियुक्त 1. हेमलाल चौधरी 2. कामेश्वर चौधरी 3. बिरेन्द्र कुमार चौधरी उर्फ बासुदेव चौधरी की गिरफ्तारी हेतु लगातार संभावित ठिकानों पर छापामारी की जा रही है। उपरोक्त तीनों अभियुक्तों के विरूद्व वारण्ट निर्गत किये जाने हेतु माननीय न्यायालय में दिनांक 02.03.2022 को पत्र समर्पित किया गया है। शेष 06 प्राथमिकी अभियुक्तों के अभियुक्तिकरण के बिन्दु पर साक्ष्य संकलित करने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी। धनवार (घोड़थम्बा ओ०पी०) काण्ड सं०– 18/22 दिनांक–26.01.2022 के उदभेदन एवं संलिप्त अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु तकनीकी तथा मानवीय साक्ष्यों का संकलन किया जा रहा है। अनुसंधान के क्रम में मृतिका के परिजनों का बयान माननीय न्यायालय में कलमबद्ध कराया गया। उक्त काण्ड में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध साक्ष्य संकलित कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। काड अनुसंधानान्तर्गत है।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	उक्त कंडिका में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांकः–08/वि0स0(04)–06/2022.....1060..../ राँची, दिनांक–....12/....03./..2022 ई0

प्रतिलिपिः–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–492/वि०स०, दिनांक–25.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

मुआवजा का भुगतान ।

उत्तर सूचित

**483. श्री नारायण दास--क्या मंत्री, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि देवघर विधान-सभा क्षेत्र अन्तर्गत दिनांक 9 अगस्त, 2020 को देवीपुर (देवघर) के राजपुरा गाँव में सैप्टिक टैंक दर्दनाक हादसा हुई, जिसमें छः व्यक्तियों को हृदय विदारक मृत्यु हो गई थी;

(2) क्या यह बात सही है कि खण्ड-1 में वर्णित दर्दनाक हादसे में जिन छः लोगों की आकस्मिक मृत्यु हुई वे सभी दैनिक मजदूर और बी०पी०एल० परिवार से थे;

(3) क्या यह बात सही है कि वर्णित हादसे के मृत परिजनों को जिला प्रशासन व अन्य स्तर से मुआवजा नहीं मिल पायी है;

(4) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार खण्ड-1 में वर्णित हादसे से मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

प्रभारी मंत्री-- (1) स्वीकारात्मक ।

(2) आंशिक स्वीकारात्मक ।

(3) स्वीकारात्मक ।

(4) प्रावधानानुसार सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा ।

---

(484)

सुश्री अम्बा प्रसाद, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–ग–44 का उत्तर ।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि बड़कागांव विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत बड़कागांव, केरेडारी एवं पतरातू प्रखण्ड में प्रखण्ड स्तर पर अग्निशमन वाहन एवं बल व्यवस्था वर्तमान में नहीं है।	**स्वीकारात्मक।**
2	क्या यह बात सही है कि बड़कागांव विधान सभा क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है तथा आपदा की आशंका बने रहने के कारण अग्निशमन सुविधा रहना अत्यावश्यक है।	**आंशिक रूप से अस्वीकारात्मक।** हजारीबाग जिला अंतर्गत जिला मुख्यालय तथा बरही अनुमण्डल में क्रमशः 05 एवं 01 अग्निशमन वाहन के साथ अग्निशामालय क्रियाशील है। बड़कागांव विधान सभा क्षेत्र से आगजनी की घटना की सूचना मिलते ही उक्त दोनों अग्निशामालयों से अग्निशमन वाहन भेजकर त्वरित कार्रवाई की जाती है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बड़कागांव विधान सभा क्षेत्र के प्रत्येक प्रखण्ड में अग्निशमन वाहन एवं बल की व्यवस्था कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?	अग्निकांड की घटनाओं के मद्देनजर प्रथम चरण में राज्य के अत्यंत संवेदनशील शहरी क्षेत्र एवं नव सृजित अनुमंडल मुख्यालयों में एवं द्वितीय चरण में राज्य के प्रखण्ड स्तर पर अग्निशामालय खोले जाने का निर्णय लिया गया है। अनुमंडल मुख्यालय में अग्निशमन कार्यालय खोले जाने के पश्चात् प्रखण्ड स्तर पर अग्निशमन कार्यालय खोलने की कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–05/वि0स0प्रश्न–07/03/2022–1061...../ राँची, दिनांक– 12/03/2022 ई0।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–987/वि0स0 दिनांक–05.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/22
सरकार के संयुक्त सचिव।

(485)

श्री जय प्रकाश भाई पटेल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–का–26 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि रामगढ़ जिलान्तर्गत पंचायत–बुमरी, मनुवा फुलसराय, बड़का चुम्बा एवं मंझला चुम्बा प्रखण्ड–माण्डू, जिला–रामगढ़ के अंतर्गत है, परन्तु इनका थाना गिद्दी है जो जिला हजारीबाग में पड़ता है ;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित पंचायतों का प्रखण्ड मुख्यालय माण्डू जिला रामगढ़ एवं पुलिस थाना गिद्दी जिला हजारीबाग होने के कारण वहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र/छात्राओं, शिक्षित वेरोजगारों को नौकरी आदि में जाति, आवासीय इत्यादि प्रमाण–पत्रों की प्राप्ति में घोर कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है;	स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में रामगढ़ जिला के उक्त पंचायतों को पुलिस थाना गिद्दी जिला हजारीबाग से हटाकर पुलिस थाना माण्डू जिला रामगढ़ में करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, ही तो क्यों?	1. रामगढ़ जिलान्तर्गत पंचायत–बुमरी, मनुवा फुलसराय, बड़का चुम्बा एवं मंझला चुम्बा का कार्यक्षेत्र हजारीबाग जिला के गिद्दी थाना से विमुक्त कर रामगढ़ जिला के माण्डू थाना के कार्यक्षेत्र से सम्बद्ध करने संबंधी प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय एवं उपायुक्त, रामगढ़ से प्राप्त हुई है। 2. इस संबंध में आयुक्त उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग एवं उपायुक्त, हजारीबाग की अनुशंसा की मांग की गयी है। सम्प्रति अनुशंसा अप्राप्त है। स्मारित किया गया है। अनुशंसा प्राप्त होने के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16/वि०स०–08/2022–1029/ राँची, दिनांक– 12/03/2022ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–753, दिनांक–28.02.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

(486)

श्री अमित कुमार मंडल, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–30 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि वर्ष 2004 में एवं वर्ष 2012 में कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्रांक–7/जाति निर्धा0–19.02.2003 का0–11085 दिनांक–28.09.2012 के आलोक में राज्य सरकार ने अपनी अनुशंसा सहित खतोरी जाति को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के जनजाति कार्य मंत्रालय को भेजा है;	अंशतः स्वीकारात्मक। प्रश्न में उल्लिखित पत्र "खेतौरी" जाति को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने के संबंध में है।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 के आलोक में भारत सरकार ने जनजाति कल्याण शोध संस्थान राँची को पुनः शोध के लिए निदेशित किया है जिसके आलोक में जनजातीय कल्याण संस्थान, राँची ने T.R.I रिपोर्ट सम्मलित करते हुऐ विस्तृत प्रतिवेदन कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग को भेज दिया है;	डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान के पत्र सं0–388, दिनांक–03.08.2018 के माध्यम से खेतौरी जाति के संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार "इस जाति को पिछड़ी जाति की सूची में यथास्थिति के रुप में बनाये रखा जा सकता है।" पुनः शोध संस्थान के पत्र सं0–207, दिनांक–04.02.2019 के द्वारा प्राप्त खेतौरी जाति से संबंधित प्रतिवेदन में स्पष्ट मंतव्य नहीं होने के कारण स्पष्ट मंतव्य के साथ प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का पुनः अनुरोध डॉ0 रामदयाल मुण्डा जनजातीय कल्याण शोध संस्थान से किया गया है। प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार खैतौरी जाति को अनुसूचित जनजाति में समावेश करने के लिए अग्रेतर कार्रवाई चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से वस्तुस्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/ज्ञा0वि0स0–07–25/2022 का0–1486/ रांची, दिनांक–09/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–978, दिनांक–05.03.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/22
(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(487)

श्रीमती सीता सोरेन, माननीया स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–33 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि सरकार अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरियां लाभ्यार्थी को उपलब्ध करवाती है;	अंशतः स्वीकारात्मक। विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 के आलोक में सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाने पर उनके एक आश्रित को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु विचार किया जाता है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड में अनुकम्पा के आधार पर मिलने वाली नियुक्ति के लिए कोई विशेष नियमावली या कानून नहीं है, झारखण्ड में अनुकम्पा के आधार पर मिलने वाली नौकरियों में सबसे प्राथमिकता बेटों को दिया जाता है, बेटियों को नहीं;	अस्वीकारात्मक। विभागीय परिपत्र सं0–10167, दिनांक–01.12.2015 के द्वारा अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की योजना संसूचित है। उक्त परिपत्र की कंडिका (4)के आलोक में सरकारी सेवक के निम्नलिखित सदस्य सीधे आश्रित माने गये हैं:– (i) पत्नी/पति :– यथा स्थिति। (ii) पुत्र/ विधवा पुत्रवधू। (iii) अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता पुत्री एवं विवाहित पुत्री जो सरकारी सेवक की मृत्यु के समय उसपर पूर्णतया आश्रित रही हों। (iv) दत्तक पुत्र/दत्तक अविवाहित पुत्री (हिन्दु एडाप्शन एण्ड मेंटेनेन्स एक्ट 1956 के प्रावधान के अनुसार) अविवाहित सरकारी सेवक के मामले में :– (i) माता/पिता (ii) अविवाहित भाई/अविवाहित बहन
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अनुकंपा के आधार पर मिलने वाली नौकरियों के लिए नियमावली बनाने और बेटियों को नौकरी में प्राथमिकता देने पर विचार करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिकाओं से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–34/2022 का0–1614 / रांची, दिनांक 12.03.2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–1037, दिनांक–07.03.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/22

(संजय कुमार रंजक)
सरकार के अवर सचिव।

488

श्री राज सिन्हा, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–53 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दिनांक–27 दिसम्बर, 1942 को गुमला जिला के जारी ग्राम में जन्में लांसनायक अल्बर्ट एक्का 1971 के भारत पाक युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे तथा भारतीय सेना से सर्वोच्च सम्मान "परमवीर चक्र" से सम्मानित होने वाले इस राज्य के इकलौते बलिदानी हैं;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि इनके जन्म जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष दिनांक 27 दिसम्बर को सरकार द्वारा श्रद्धांजलि देने या पुष्पांजलि अर्पित करने की परंपरा रही है;	कतिपय जिले यथा–गुमला, सिमडेगा एवं पश्चिम सिंहभूम, चाईबासा जिले के उपायुक्तों द्वारा लांसनायक अल्बर्ट एक्का परमवीर चक्र, की जन्म जंयती के अवसर पर श्रद्धांजलि/पुष्पांजलि देने की परम्परा होना प्रतिवेदित है। कुछ जिलों यथा–लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, खूँटी, सरायकेला–खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर, दुमका द्वारा श्रद्धांजलि/पुष्पांजलि देने की परम्परा नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
3	क्या यह बात सही है कि विगत वर्ष 2021, 27 दिसम्बर को सरकारी स्तर पर बलिदानी अल्बर्ट एक्का की जयंती नहीं मनायी गयी, जिसके कारण राज्य की जनता आहत हुई है;	अस्वीकारात्मक।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इसके लिए दोषी पदाधिकारियों पर यथोचित कार्रवाई करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	उपरोक्त कंडिका में स्पष्ट किया गया है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–04/वि०स०(ता०)–103/2022–...1168..../ राँची, दिनांक– 13/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1058, दिनांक–07.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/03/2022
सरकार के उप सचिव।

(489)

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–41 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला के प्रखण्ड रानेश्वर अन्तर्गत ग्राम–आसनबनी पंचायत आसनबनी से रानेश्वर थाना की दूरी लगभग 12 kmtr है तथा आसनबनी से शिकारीपाड़ा थाना की दूरी भी लगभग 12 kmtr है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार रानेश्वर थाना के पंचायत–आसनबनी तथा शिकारीपाड़ा अन्तर्गत बांसपहाड़ी, राजबांध व हिरापुर पंचायतों को मिलाकर पंचायत आसनबनी में ग्रामीणों के हित में नये थाना का सृजन करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	वर्त्तमान में आसनबनी क्षेत्र का रानेश्वर थाना एवं बांसपहाड़ी क्षेत्र का शिकारीपाड़ा थाना द्वारा विधि–व्यवस्था का संचालन किया जा रहा है। आसनबनी पंचायत में नये थाना का सृजन का प्रस्ताव वर्त्तमान में सरकार के समक्ष विचाराधीन नहीं है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–16 / वि०स०–10 / 2022–....1030.../ राँची, दिनांक– 12/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–984, दिनांक–05.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–50 का उत्तर प्रतिवेदन :–

490

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सिमडेगा जिलान्तर्गत होमगार्ड की चयन प्रक्रिया वर्ष 2017 में ही पूरी हो गयी थी;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि चयनित होमगार्ड अभ्यार्थी को अब तक चयन के उपरांत बुनियादी प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, जिससे इनका पदस्थापन अब तक लंबित है;	आंशिक स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चयनित होमगार्ड को जल्द से जल्द बुनियादी प्रशिक्षण देकर पदस्थापन करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	नामांकन की प्रक्रिया में त्रुटि के कारण कार्रवाई पूरी नही की जा सकी है। विभाग द्वारा त्रुटि के निस्तारण की कार्रवाई करते हुए झारखण्ड गृह रक्षक (स्वयं सेवक) नियमावली, 2014 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07 / वि०स०(ता०प्र०)–15 / 2022–....1065 / रॉची, दिनांक– 13/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1032, दिनांक–07.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/22
सरकार के संयुक्त सचिव।

\Users\BhartiJee\Desktop\Questions (Budget) 14.03.2022.doc P-3

491

श्री ढुलू महतो, स0वि0स0 के द्वारा दिनांक 14.03.2022 को
पूछे जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या– वि0– 05 का उत्तर

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है, कि झारखण्ड राज्य के छोटे–छोटे दुकानदारों, रेहड़ी वालों, खोमचे वालों निम्न मध्यवर्गीय लोगों द्वारा सहारा इंडिया के बचत योजनाओं में अपनी कमाई की राशि को संचय करते आये है;	स्वीकारात्मक
2.	क्या यह बात सही है कि विगत 8 वर्षों से सहारा इंडिया एवं सेबी विवाद के कारण छोटे–छोटे निवेशकर्त्तायों को समय से भुगतान नहीं हो पा रहा है;	सेबी से प्राप्त जानकारी के अनुसार सहारा समुह के सहारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड एवं सहारा हाउसिंग इन्वेसमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की दो कम्पनियों के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 31.08.2012 के आदेश के द्वारा इन दोनों कम्पनियों के Promoter एवं Director को आदेश के तीन महीने के भीतर Red Herring Prospectus(RHP) के जरिए जुटाया गया पैसा 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज की दर के साथ सेबी को लौटाने का आदेश दिया गया एवं माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सेबी को यह आदेश दिया गया कि इन दोनों कम्पनियों के बॉण्डधारकों को उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ब्याज के साथ पैसा लौटाने की कार्रवाई करें जिसकी देख–रेख हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायमूर्त्ति (सेवानिवृत्त) बी0 एन0 अग्रवाल की नियुक्ति की गई थी। उक्त के आलोक में सेबी द्वारा दिनांक 26.3.2018 एवं दिनांक 19.06.2018 को विज्ञापन जारी किए गए जिसमें उक्त दोनों कम्पनियों के बॉण्डधारकों को Refund के लिए दिनांक 02.07.2018 तक आवेदन प्रस्तुत करने का कहा गया है। सेबी को कुल 19644 आवेदन प्राप्त हुए जिनके संबंध में मूलधन की कुल रकम 81.70 करोड़ थी। आवेदनकर्त्ता के संबंधित दस्तावेजों की जाँच के आधार पर सेबी द्वारा 17526 पात्र बॉण्डधारकों को कुल 138.07 करोड़ का मूलधन एवं ब्याज सहित राशि Refund किया गया है। अन्य आवेदनों को क्लोज कर दिया गया क्योंकि सहारा द्वारा प्रस्तुत किए दस्तावेज/आँकडों के उनके रिकोर्ड नहीं मिल रहे थे या फिर सेबी द्वारा जो और प्रश्न पूछे गए थे उनका बॉण्डधारकों की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। सहारा इंडिया से प्राप्त पत्र दिनांक 15.06.2021 के अनुसार विगत 08 वर्षों से माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेशानुसार अपने चल एवं अचल सम्पत्ति की विक्री पर रोक लगाई थी, बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा विक्री से रोक इस शर्त्त पर हटा दी गई कि विक्री से प्राप्त राशि को SEBI-SAHARA Refund Account में जमा कराई जायगी। सहारा से प्राप्त पत्र के आधार पर इस खाता में 24000 (चौबीस हजार) करोड़ रुपये जमा करा दी गई है।

3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के छोटे–छोटे निवेशकर्त्ताओं के धन वापस करवाने की अनुशंसा भारत सरकार एवं सेबी से करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार द्वारा जमाकर्त्ताओं की शिकायतों के लिए जल्द ही Help Line जारी करने जा रही है। जमाकर्त्ताओं से प्राप्त शिकायतों को सेबी एवं सहारा को भेजी जाएगी तथा राज्य सरकार जमाकर्त्ताओं का पैसा वापस दिलाने का हर संभव प्रयास करेगी।

झारखण्ड सरकार

वित्त विभाग (सांख्यिक वित्त प्रभाग)

ज्ञापांकः 10 / वि0स0(4)–11 / 2022:..108../ राँची, दिनांकः 11/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 प्र0– 755 / वि0स0 दिनांक 28.02.2022 के आलोक में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कौशल 11-03-2022

(कौशल किशोर झा)
सरकार के अवर सचिव।

(492)

डा0 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–11 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य के कोल्हान प्रमंडल के गोप (यादव) जाति के लोगों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I) का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है तथा उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल एवं राज्य के अन्य जिलों के गोप जाति के लोगों को एक ही जाति, सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति रहने के बावजूद उन्हें पिछड़ा वर्ग (BC-II) का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है;	वस्तुस्थिति यह है कि दिनांक–18.08.2008 को आहूत मंत्रीपरिषद की बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम तथा सरायकेला खरसावां जिला मे निवास करने वाली गौड़/मगदा गौड़ जाति के वैसे लोग, जो गोप/ग्वाला के रूप में जाने जाते हैं तथा इन उपाधियों का उपयोग करते हैं, को गौड़/मगदा गौड़ जाति को दी जाने वाली सुविधाएं प्रदान करने हेतु संकल्प सं0–5108, दिनांक–23.09.2008 द्वारा अत्यन्त पिछड़े वर्गों की सूची (अनुसूची 1) के क्रमांक 27 पर गौड़ जाति के प्रकोष्ट में मगदा–गौड़/महाकुड़ के जाति के बाद "गोप, ग्वाला (पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां जिलों के लिए)" समावेशित किया गया। तदनुसार उपरोक्त को अत्यन्त पिछड़े वर्ग (अनुसूची 1) का प्रमाण पत्र अनुमान्य है। उक्त को छोड़कर झारखण्ड राज्य में निवास करने वाले गोप, ग्वाला, अहीर, यादव, सदगोप, घासी, मगधा आदि जातियों को अनुसूची 2 से हटाकर अनुसूची 1 में शामिल करने, जैसा कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला–खरसावाँ जिलों में लागू है, संबंधी आवेदन सं0–116/2017 पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग द्वारा पंजीकृत किया गया। तदनुसार आयोग द्वारा वर्ष, 2018 में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया, जिसमें आयोग द्वारा गोप, ग्वाला, अहीर, यादव, सदगोप, घासी, मगधा जातियों को अनुसूची 1 में शामिल करने संबंधी अनुरोध को अस्वीकृत करने तथा इस जाति को अनुसूची 2 के क्रमांक 22 पर यथावत रखे जाने की सलाह दी गयी है।
2.	यदि उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार झारखण्ड राज्य में रहनेवाले गोप (यादव) जाति के लोगों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग (BC-I) का प्रमाण–पत्र निर्गत करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	उपर्युक्त कंडिका–1 से स्थिति स्पष्ट है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–12/2022 का0–1537/ रांची, दिनांक 10/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–157, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

10/3/22

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(493)

श्री कमलेश कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या का0 31 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा वर्ष 2005 में प्रथम उप समाहर्त्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में वर्ष 2006 में परीक्षा आयोजित की गई थी, परन्तु परीक्षाफल का प्रकाशन न कर परीक्षा को रद्द कर दिया गया था;	झारखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित विज्ञापन के आलोक में झारखण्ड लोक सेवा आयोग के द्वारा जनवरी 2020 में पुनः परीक्षा ले ली गई है, परन्तु 2 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के बावजूद परीक्षाफल का प्रकाशन नहीं किया गया है;	स्वीकारात्मक।
3.	क्या यह बात सही है कि परीक्षा में सम्मिलित सभी परीक्षार्थी झारखण्ड सरकार के तृतीय श्रेणी के कर्मी है, जो अब सेवानिवृत्ति के कगार पर पहुँच गए है;	स्वीकारात्मक।
4.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रथम उप समाहर्त्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 का परीक्षाफल का प्रकाशन यथाशीघ्र करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	झारखण्ड लोक सेवा आयोग के पत्रांक 1043 दिनांक 11.03.2022 के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वर्ष 2020 में संचालित प्रथम उप समाहर्त्ता सीमित प्रतियोगिता परीक्षा, 2005 के सभी प्रक्रियाओं को निभाते हुए परीक्षाफल प्रकाशन के पहले इसे स्क्रूटनी हेतु माननीय सदस्यों को भेजा गया था। माननीय सदस्यों के द्वारा सर्वसम्मति से अभ्यर्थियों के अहर्त्ता तथा अन्य विषयों पर कुछ प्रश्न किया गया है। इस विषय पर विधिक मंतव्य हेतु आयोग के अधिवक्ता को पत्र प्रेषित है। अधिवक्ता का विधिक मंतव्य प्रतीक्षारत है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–11 / वि0स0–06–16 / 2022 का0 1604 / राँची दिनांक– 11 मार्च, 2022

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके ज्ञाप सं0 977 दिनांक 05.03.2022 के प्रसंग में 250 प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री चन्द्रभूषण प्रसाद, नोडल पदाधिकारी–सह–उप सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

11/03/2022
सरकार के उप सचिव।

(494)

श्री भानु प्रताप शाही, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–40 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति में सीधी भर्ती हेतु निर्धारित पदों की कुल संख्या के विरूद्ध वर्तमान समय में कार्यरत बल की कुल संख्या काफी कम है;	अस्वीकारात्मक। सीधी भर्त्ती हेतु पुलिस उपाधीक्षक कोटि के कुल स्वीकृत बल–193 के विरूद्ध 148 पुलिस उपाधीक्षक कार्यरत हैं तथा 04 Backlog एवं 40 पद पर सीधी भर्त्ती हेतु अधियाचना, झारखण्ड लोक सेवा आयोग को प्रेषित है जिस पर नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।
2	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति में सीधी भर्ती हेतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए आरक्षित पदों की कोटिवार निर्धारित संख्या के विरूद्ध वर्तमान समय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि में कार्यरत पुलिस उपाधीक्षक की कोटिवार संख्या कम है;	अस्वीकारात्मक। सीधी भर्त्ती हेतु आरक्षण अनुमान्यता संबंधी नियमों का पालन करते हुए नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण की गई है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति में प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु चिन्हित रिक्तियों को कोटिवार कुल संख्या बताते हुए पुलिस निरीक्षक पंक्ति के अर्हता प्राप्त पुलिस पदाधिकारियों को राज्यहित लोकहित तथा न्यायहित में पुलिस उपाधीक्षक पंक्ति में अविलंब प्रोन्नति देने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–6752, दिनांक–24.12.2020 द्वारा प्रोन्नति पर रोक रहने के फलस्वरूप 36 पदों (जिसका आरक्षण रोस्टर अनुमान्यता :– 28–अनारक्षित कोटि, 4– अनुसूचित जाति कोटि, 4–अनुसूचित जनजाति कोटि है) पर पुलिस निरीक्षक कोटि से पुलिस उपाधीक्षक कोटि में प्रोन्नति के माध्यम से नियुक्ति की कार्रवाई लंबित है। इसी बीच इसके अतिरिक्त 56 पदों की रिक्ति उत्पन्न हुई है, जिसका आरक्षण रोस्टर अनुमान्यता निर्धारण की कार्रवाई कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची से प्रोन्नति पर लगी रोक हटने के उपरान्त की जायेगी।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–12/वि०स०–8004/2022–1034/ राँची, दिनांक– 12/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–981, दिनांक–05.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

श्री ढुलू महतो, मा०स०वि०स० द्वारा दिनांक 14.03.2022 को पूछे गये तारांकित प्रश्न सं०–ग–38 पर उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि संविधान द्वारा प्रश्न IPC की धारा 353 सरकारी कर्मचारी को सुरक्षा प्रदान करती है ताकि वे अपना कार्य सुगमता एवं बिना किसी भय के साथ कर सके;	स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि बाधमारा विधान सभा क्षेत्र में आये दिन सरकारी कर्मचारी/पदाधिकारी आम जनता को डराने धमकाने में उक्त धारा का दुरूपयोग कर रहे, है जिसकी शिकायत उपायुक्त धनबाद के समक्ष तीन–तीन बार की गयी है, जिसके कारण नागरिकों में भय व्याप्त है;	अस्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार धारा 353 का दुरूपयोग करने वाले पदाधिकारियों के विरूद्व सख्त कार्रवाई करने का विचार रखती है हॉ तो कबतक नहीं तो क्यो ?	उक्त कंडिकाओं में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

झारखण्ड सरकार
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग

ज्ञापांक:–08/वि0स0(04)–09/2022....1062..../ राँची, दिनांक–....17/..03../2022–ई0

प्रतिलिपि:–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, राँची को उनके पत्रांक–772/वि0स0, दिनांक–01.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

(496)

श्री नलिन सोरेन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–42 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि दुमका जिला का प्रखण्ड रानेश्वर थाना का भवन काफी पुराना है तथा भवन जर्जर अवस्था में है, झारखण्ड पश्चिम बंगाल के सीमा पर होने के कारण सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसका काफी महत्व है;	स्वीकारात्मक।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपरोक्त थाना का नया भवन व आधुनिक संचार उपकरण सहित निर्माण कराने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं, तो क्यों?	दुमका जिलान्तर्गत रानेश्वर थाना हेतु नया भवन निर्माण कराये जाने के निमित झारखण्ड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, राँची के द्वारा उक्त थाना भवन का डी०पी०आर० पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया है। चालू वित्तीय वर्ष 2021–22 के बजट में उक्त कार्य योजना हेतु राशि आलेखित नहीं है। आगामी वित्तीय वर्ष 2022–23 के बजट में राशि आलेखित होने के उपरांत उक्त थाना भवन का निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03 / वि०स०(ता०)–806 / 2022–....1061../ राँची, दिनांक– 13/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–985, दिनांक–05.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।

डा9 लम्बोदर महतो, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–12 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में कमार/करमाली/लोहार/लोहरा/बड़ाईक/चिक बड़ाई आदि कई ऐसी जातियां हैं जो एक ही जाति के हैं जिनका रहन–सहन, वेश–भूषा, खान–पान, संस्कृति–परम्परा सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक स्थिति एक जैसी है किन्तु खतियान एवं राजस्व दस्तावेज में अलग–अलग शब्द दर्ज होने के कारण किसी को अनुसूचित जनजाति तो किसी को पिछड़ा जाति का प्रमाण–पत्र निर्गत किया जाता है;	अस्वीकारात्मक। प्रश्नगत जातियों की स्थिति निम्नवत् है:– **1. कमार**– अ0पि0व0 (अनु0–1) के क्रमांक 120 पर सूचीबद्ध। **2. करमाली**– अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–14 पर सूचीबद्ध। **3. लोहार**– अ0पि0व0 (अनु0–1) के क्रमांक 120 पर सूचीबद्ध। **4. लोहरा**– अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–21 पर सूचीबद्ध। **5. बड़ाईक**– किसी सूची में सूचीबद्ध नहीं। **6. चीक–बड़ाईक**– अनुसूचित जनजाति की सूची के क्रमांक–10 पर सूचीबद्ध।
2.	यदि उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार कमार/करमाली/लोहार/लोहरा/बड़ाईक/चिक बड़ाईक आदि सभी जातियों को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण–पत्र निर्गत करना चाहती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	झारखण्ड राज्य हेतु अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध जातियों के सदस्य को निर्धारित प्रक्रियाओं के तहत् अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14/झा0वि0स0–07–13/2022 का0–1485 रांची, दिनांक 09/03/2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–155, दिनांक–22.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/03/22

(संजय कुमार रजक)
सरकार के अवर सचिव।

(498)

श्री नवीन जायसवाल, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–49 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि महानिदेशक अग्निशामक सेवा, नागरिक सुरक्षा एवं गृह रक्षा वाहिनी, गृह मंत्रालय भारत सरकार का पत्र संख्या–12011/1/Misc दिनांक–11.04.2018 एवं पत्र संख्या –VII-11016/1/2017-DGCD (HG) दिनांक–14.06.2021 के आलोक में झारखण्ड सरकार को पत्र प्रेषित करते हुए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा गृह रक्षकों को पुलिस आरक्षी के समतुल्य वेतन (वेतन+ग्रेड पे + महँगाई भत्ता + धुलाई भत्ता) के तहत कर्तव्य भत्ता देने हेतु न्यायादेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया गया है;	स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि ऊपर वर्णित पत्र में दिये गये निर्देश का अनुपालन कराने हेतु राज्य के होमगार्ड समय–समय पर माँग करते रहे है;	स्वीकारात्मक।
3	क्या यह बात सही है कि मा० उच्च न्यायालय में दायर L.P.A N0- 272/2018 के आदेश के आलोक में राज्य सरकार को राज्य के गृह रक्षकों को वेतन (वेतन + ग्रेड–पे + महँगाई भत्ता + धुलाई भत्ता) देने का न्यायादेश पारित किया गया है;	स्वीकारात्मक।
4	यदि उपार्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार गृह रक्षकों को पुलिस आरक्षी के समुतुल्य वेतन (वेतन + ग्रेड–पे + महँगाई भत्ता + धुलाई भत्ता) के तहत् कर्तव्य भत्ता देने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	L.P.A N0- 272/2018 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक–14.02.2022 को पारित न्यायादेश के आलोक में विभाग द्वारा इसकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षोपरांत निर्णय लिया जा सकेगा।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–07/वि०स०(ता०प्र०)–16/2022–...1070.../ राँची, दिनांक–13/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1033, दिनांक–07.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/22
सरकार के संयुक्त सचिव।

(499)

श्री अनन्त कुमार ओझा, माननीय स०वि०स० द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछा जाने वाला तारांकित प्रश्न संख्या–का0–19 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र.	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि राजमहल विधान–सभा क्षेत्र अन्तर्गत प्रखण्ड साहेबगंज राजमहल एवं उधवा में हलधर चासठ जाति के लोग वर्षों से निवास कर रहे है जो आजीविका हेतु कृषि एवं मजदूरी पर निर्भर है;	स्वीकारात्मक।
2.	क्या यह बात सही है कि बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 की धारा 23 एवं 24 के तहत क्रमशः 5वीं0 एवं 6वी0 अनुसूची द्वारा संशोधित (अनुसूचित जाति) संशेधन आदेश 1950 और संशोधन (अनुसूचित जनजाति) संशोधन आदेश 1950 के तहत तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचति जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम के तहत हलधर चासठ जाति के लोगों को अनुमण्डल कार्यालय, राजमहल से वर्ष 2019 तक अनुसूचित जनजाति का जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता रहा है;	अस्वीकारात्मक।
3.	यदि उपरोक्त खण्ड के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार खण्ड (1) में वर्णित जाति को खण्ड (2) में वर्णित प्रावधानानुसार अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत कराकर सामाजिक और आर्थिक रुप से पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नही तो क्यों?	झारखण्ड राज्य हेतु अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध जातियों के सदस्य को ही इस राज्य के अनुसूचित जनजाति के रूप में जाति प्रमाण पत्र अनुमान्य है। हलधर चासठ जाति राज्य की अनुसूचित जनजाति की सूची में सूचीबद्ध नहीं है। अतः इन्हें अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा सकता है।

झारखण्ड सरकार,

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

ज्ञापांक–14 / झा0वि0स0–07–17 / 2022 का0–1612 / रांची, दिनांक 12-03-2022

प्रतिलिपि– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा, रांची को उनके पत्र, ज्ञाप संख्या–648, दिनांक–26.02.2022 के प्रसंग में 200 (दो सौ) प्रतियों में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/3/22

(संजय कुमार रजक)

सरकार के अवर सचिव।

(500)

श्रीमती सीता सोरेन, मा०स०वि०स० के द्वारा दिनांक–14.03.2022 को पूछे जानेवाले तारांकित प्रश्न संख्या–ग–51 का उत्तर प्रतिवेदन :–

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राजधानी राँची के पुलिस लाईन में बैरक की कमी है, जिस कारण पुलिस लाईन में करीब 300 से अधिक जवान टेंट में रहते हैं;	पूर्व में जगह की कमी होने के कारण सिर्फ 38–40 जवान टेंट में निवास करते थे, जिन्हें अन्यत्र निवास स्थान उपलब्ध कराया जा चुका है। वर्त्तमान में G+4 बैरक निर्माणाधीन है, संबंधित सामग्रियों को उक्त टेंट में रखा गया है।
2	क्या यह बात सही है कि सरकार के द्वारा राँची पुलिस लाईन के टेंट में रहने वाले जवानों की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों की तरफ से कोई सार्थक पहल नहीं की गयी है, जिसके कारण दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है;	सरकार एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों की तरफ से सार्थक पहल की गयी है। G+4 बैरक निर्माणाधीन है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राँची पुलिस लाईन स्थित टेंट में रहने वाले 300 से अधिक जवानों के लिए नए बैरक बनाने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	कंडिका–1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

झारखण्ड सरकार,
गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग।

ज्ञापांक–03 / वि०स०(ता०)–808 / 2022–...197..../ राँची, दिनांक– 13/03/2022 ई०।

प्रतिलिपि–200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को उनके ज्ञापांक–1031, दिनांक–07.03.2022 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

13/3/22

सरकार के संयुक्त सचिव।